

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

नी ३८६८ प्रमाणित दस्तावेज़ अनुमति दिलेन्ही ऐरेया २०१९

क्रमांक : एफ 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2019/ ३८६४८

जयपुर, दिनांक : ३/०२/१९

संशोधन आदेश

पालनहार यैलेना संवालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधित नियम, 2007 के नियम २ (7) में निम्न संशोधन एवं द्वारा प्रतिरक्षित किया जाता है-

नियम एवं उप नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
नियम-२ (7)	"पालनहार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अनुदान पात्रता योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खूंति का दायित्व लेना चाहता है। निराश्रित पेशन हेतु पात्र विधवा महिलाओं के बच्चों के लिये विधवा महिला स्वयं पालनहार होगी।	"पालनहार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खूंति का दायित्व लेना चाहता है। निराश्रित पेशन हेतु पात्र विधवा महिलाओं के बच्चों के लिये विधवा महिला स्वयं पालनहार होगी एवं ऐसे वयस्क जो अपने अनाथ सगे भाई/बहन का पालन—पोषण करते हो, वह अपने सगे भाई/बहन हेतु पालनहार होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161900606 दिनांक 12.06.2019 के अनुसरण में प्रसारित किये जाते हैं।

(सांवर मल बाई)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15(3) (1) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2018/ ३८६८८-४५० जयपुर, दिनांक : ३/०२/१९
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

- १ विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- २ निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- ३ निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- ४ निजी सचिव, अतिरिक्त गुरुत्व सचिव, गामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- ५ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- ६ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- ७ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाये, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- ८ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ९ महालेखाकार, लेखा एवं उक्त, राजस्थान, जयपुर।
- १० रामरत्न सामाजिक आमुल्त।
- ११ समस्त जिला कलेक्टर।

- १२ भौतिक रात्रिहकार, रहने की मुश्यमांदगी।
- १३ समर्थ अतिरिक्त निदेशक / उपनिदेशक, सान्याआवि, मुख्यामांदगी।
- १४ विवरण एग्जिस्ट (एम्प्लॉय निदेशक) सान्याआवि, मुख्यामांदगी को किसी भी कंबरसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- १५ समर्थ उप निदेशक/ एम्प्लॉयक निदेशक, सान्याआवे।
- १६ सामर्ता ल्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याआवि।
- १७ आदर्श पत्रावली।

(Signature)
अतिरिक्त निदेशक(सा.सु.)